



प्रेषक,

राकेश कुमार यादव,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग।

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 19 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद-अयोध्या में नवीन ममता राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय (आवासीय) के भवन निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4402/दि0ज0स0वि0/निर्माण/ममता-अयोध्या/2025-26, दिनांक 06 फरवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-अयोध्या में नवीन ममता राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय (आवासीय) के भवन निर्माण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.05.2023 के प्रस्तर-2(2)(1) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था के स्तर पर निविदा प्रक्रिया के पश्चात् निविदा से प्राप्त मूल्य के अनुसार प्रश्नगत कार्य की लागत रु0 982.71 लाख (रु0 नौ करोड़ बयासी लाख इकहत्तर हजार मात्र) को पुनरीक्षित कराते हुए रु0 350.00 लाख (रु0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि जनपद-अयोध्या में नवीन ममता राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय (आवासीय) के भवन निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रु0 984.17 लाख (रुपये नौ करोड़ चौरासी लाख सत्रह हजार मात्र) की शासनादेश संख्या-66/2024/1/835761/2024/65-2002(002)/3/2024 दिनांक 30.12.2024 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इस कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में रु0 243.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.05.2023 के प्रस्तर-2(2)(1) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार जनपद-अयोध्या में नवीन ममता राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय (आवासीय) के भवन निर्माण कार्य की निविदा से प्राप्त मूल्य के अनुसार पुनरीक्षित लागत रु0 982.71 लाख (रु0 नौ करोड़ बयासी लाख इकहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इस कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रु0 350.00 लाख (रु0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(i) प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश एवं कार्यदायी संस्था का होगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा। योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0 इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।

(ii) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय एवं कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 एवं वित्त (लेखा) अनुभाग-2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(iii) नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(iv) प्रश्रुत निर्माण कार्य हेतु निर्विवादित भूमि की उपलब्धता एवं अन्य विभागों से क्लीयरेन्स प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(v) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(vi) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश एवं कार्यदायी संस्था का होगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कार्यों की मॉनिटरिंग भी की जायें तथा इस संबंध में प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(vii) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(viii) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को बढ़ावा, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(ix) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्वावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रयोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(x) प्रायोजना की लागत टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xi) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा एवं कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(xii) जिस कार्य/मद में वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा और इसका समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xiii) प्रश्रुत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो उसका पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xiv) यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश/कार्यदायी संस्था को होगा कि प्रश्रुत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(xv) प्रश्रुत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से संबंधित राज्य सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(xvi) योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज दे नहीं होगा।

(xvii) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xviii) वित्त विभाग के समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं इस शासनादेशों में अंकित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश एवं निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(xix) कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि पर जो भी ब्याज अर्जित किया जायेगा वह नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(xx) प्र0वि0 द्वारा प्रश्रुत कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xxi) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किशतों में किया जायेगा।

(xxii) शासनादेश संख्या-66/2024/1/835761/2024/65-2002(002)/3/2024 दिनांक 30.12.2024 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4. उपर्युक्त निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-15-मानसिक मंदित बालक/बालिकाओं के लिये 'ममता' विद्यालय-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-E-4-213-X-2025-26 दिनांक: 13-02-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या/दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3. जिलाधिकारी, अयोध्या।
4. उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
5. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, अयोध्या।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ/अधिशायी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, निर्माण प्रखण्ड, अयोध्या।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।